

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला अनुदान/2014/7301-12 जयपुर, दिनांक: 5.6.15
जिला कलेक्टर, (सहायता)
चूरु (राज0)।

विषय:- अभाव संवत् 2071 में अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त एवं गैर अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक: एफ 14 ()सहा/गौ.अ./2015/2273 दिनांक 19.5.2015 एवं 2349 दिनांक 22.5.2015 के क्रम में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ1(1)(4) आ.प्र.सआ/ सामान्य/ 2014/ 12413-32 दिनांक 12.12.2014 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह अवधि 31.07.2015 तक प्रभावी रहेगी। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि अभाव संवत् 2071 में अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव संचालित संस्था द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित शपथ पत्र के साथ लेने की अनुशंसा पत्र दिनांक 18.5.2015 एवं 22.5.15 के आधार पर एवं भारत सरकार के पत्रांक 32-3/2013-NDM-I दिनांक 28.11.2013 के द्वारा जारी संशोधित SDRF/NDRF मानदण्डों के बिन्दु सं. 6(ii) के अनुसार अभाव संवत् 2071 में आपके जिले की निम्न पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु अनुदान निम्नानुसार शर्तों के अन्तर्गत स्वीकृति जारी की जाती है:-

क्र.सं.	पंजीकृत गौशाला का नाम	गौशालाओं में संधारित पशुओं की संख्या		
		बड़े पशु	छोटे पशु	योग
	तहसील तारानगर			
1	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति साहबा	2309	425	2734
2	श्री श्याम गौ-सेवा संस्था, बूचावास	119	42	161
3	श्री कृष्ण बलराम गौसेवा समिति ढाणी मेघसर	140	100	240
4	श्री शिव गौशाला रेडी भूरावास	250	80	330
5	श्री कृष्ण गौसेवा समिति रैयाटुण्डा	475	255	730
6	श्री कृष्ण गौसेवा समिति पूनसीसर	408	141	549
7	श्री जयश्री कृष्ण गौसेवा समिति सारायण	265	85	350
8	श्री श्याम गौसेवासमिति ढाणी माना	320	135	455
9	श्री कृष्ण पंचमुखी गौशाला समिति कालवास	405	129	534
10	श्री कृष्ण गौशाला समिति धीरवास बड़ा	576	209	785
11	श्री कृष्ण गोपाल गौशाला भनीण	425	105	530
12	शिव गौशाला संस्था राजपुरा	150	155	305
13	श्री गोविन्द गौशाला सेवा समिति, सांत्यु	339	116	455
14	स्वामी मेघगिरी कामधेनु गौशाला महात्मा	103	52	155
15	श्री चंगोई गौ-सेवा समिति, चंगोई	210	30	240
16	श्री श्याम गौशाला समिति बांय	344	109	453
17	श्री गोपाल गौशाला समिति तारानगर	369	112	481
18	श्री कृष्ण प्रणामी भोमियाजी गौशाला समिति झांझनी	120	35	155
19	श्री राधाकृष्ण गौशाला समिति तोगावास	85	20	105

203

20	श्री कृष्ण गौशाला समिति, कोहिणा	205	47	252
21	श्री राधाकृष्ण गौशाला सेवा समिति भालेरी	72	55	127
22	श्री कृष्ण गौशाला ढाणी कुम्हारान	290	41	331
23	गोपाल गौशाला गाजुवास गडाना	125	45	170
24	श्री राधाकृष्ण गौशाला समिति इन्दासी	89	14	103
	योग:	8193	2537	10730
	तहसील सुजानगढ			
25.	श्री कृष्ण गो सेवा सदन समिति सुजानगढ	117	45	162
26.	श्री गोपाल गौशाला सुजानगढ	340	54	394
27.	श्री राम शंकर गौशाला छपर	358	129	487
28.	श्री बालाजी गौशाला समिति रिणवां	170	60	230
29.	श्री बालाजी गौशाला संस्थान सालासर	1396	245	1641
30	श्री जोगलिया गौसेवा संस्थान जोगलिया	161	31	192
31.	श्री गोपाल गौशाला बड़ाबर	44	11	55
32.	तेजूपीर गौशाला संस्थान धातरी	180	35	215
	योग	2766	610	3376
	कुल योग	10959	3147	14106

1 अनुदान दर: -

गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं के बड़े पशु हेतु 50/- रुपये तथा छोटे पशु हेतु 25/- रुपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान देय होगा।

2. पशु आहार-

(i) निर्धारित दर से अनुदान उसी स्थिति में स्वीकृत किया जावे, जबकि गौशाला संचालको द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे के साथ-साथ कमशः 1 कि.ग्रा. पशु आहार बड़े पशुओं हेतु तथा 1/2 कि.ग्रा. पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। यदि निर्धारित दर पर पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो पशु आहार की राशि कमशः 11/- रुपये बड़े पशु तथा 5.50 रुपये प्रति छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष रही राशि ही अनुदान स्वरूप स्वीकृत की जावे।

(ii) आर.सी.डी.एफ/राजफैड द्वारा निर्मित एवं राजफैड/आरसीडीएफ द्वारा कय कर आपूर्ति किया गया पशु आहार उपलब्ध कराये जाने पर ही अनुदान देय होगा।

3. निरीक्षण मापदण्ड :-

अनुदान हेतु अनुमत सभी गौशालाओं का माह में एक बार जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जावे। निरीक्षण के लिए न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित है:-

क्र. सं.	नम अधिकारी	न्यूनतम निरीक्षण	कार्य क्षेत्र
1.	तहसीलदार/विकास अधिकारी	25 प्रतिशत	तहसील/ पं. समिति
2.	उपखण्ड अधिकारी	10 प्रतिशत	उपखण्ड
3.	अति. जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सम्मिलित रूप से)	5 प्रतिशत	जिला
4.	जिला कलेक्टर	यथासम्भव अधिकाधिक	जिला
5.	पशुपालन/चिकित्सा के आधिकारी	प्रत्येक गौशाला, माह में 2 बार	तहसील/ पं. समिति

Handwritten signature

4. अनुदान की देयता:-

यहा भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंजीकृत गौशाला जिसके द्वारा पशुओं का संधारण किया जा रहा है, उसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि देय होगी।

- (i) गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु अनुदान गौशालाओं की तहसीलदार द्वारा की गई प्रथम निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निरीक्षण दिनांक से देय होगा।
- (ii) ऐसी पंजीकृत गौशालाओं की संचालन समिति में जिला कलेक्टर द्वारा सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे तथा यह निर्देशित किया जावे कि गौशाला संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना ऐसे प्रतिनिधि को समय पर दी जावे एवं वित्तीय प्रकृति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय उसी बैठक में लिये जावे, जिसमें जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो।
- (iii) गौशाला के लेखे जोखे सही एवं भली प्रकार से संधारित कराये जावें। गौशालाओं में निम्न लिखित रजिस्ट्रों का संधारण कराया जावे :-
 - क. खरीद एवं स्टॉक रजिस्टर
 - ख. पशुओं का रजिस्टर
 - ग. दैनिक खर्च रजिस्टर
 - घ. दैनिक खर्च का हिसाब
- (iv) जिला कलेक्टर, जिला पशु पालन अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि गौशालाओं के पशुओं का सही प्रकार से पोषण किया जा रहा है।

5. भुगतान:-

गौशाला द्वारा संरक्षित किये जा रहे पशुओं की संख्या का प्रमाणीकरण सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा किये जाने के उपरान्त ही, गौशाला द्वारा प्रस्तुत मासिक बिलों के आधार पर अनुदान दिया जावे।

6. पशु संख्या:-

गौशालाओं के पशुओं की संख्या सक्षम अधिकारी, कम से कम उपखण्ड अधिकारी स्तर के अधिकारी से निरीक्षण व भौतिक सत्यापन के पश्चात् पशुओं के लिए अनुदान हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि स्वीकृति के आदेश समय पर ही जारी किये जा सकें।

7. पशु संख्या में बढ़ोतरी :-


विगत वर्षों में यह देखा गया है कि जिला कलेक्टर द्वारा सूचित संख्या के आधार पर गौशाला अनुदान की स्वीकृति जारी की गई। उक्त संख्या बिना सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के आधार पर बताई गई। गौशालाओं के पशुओं में वृद्धि होने की दशा में कम से कम तहसीलदार स्तर के अधिकारी से निरीक्षण व भौतिक सत्यापन के पश्चात् ही आगामी माह की 20 तारीख से पूर्व तक बढ़े हुए पशुओं के लिए अनुदान हेतु प्रस्ताव आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि बढ़ी हुई संख्या के आधार पर स्वीकृति आदेश समय पर जारी किये जा सकें।

8. स्वीकृत गौशालाओं का मुख्यालय/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण/ विडियो ग्राफी की जा सकेगी। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित संस्था/संबन्धित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।
9. किसी भी गौशाला संचालक संस्था जिसके माध्यम से गौशाला संचालित की जा रही है, उनके खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण उपरान्त इन संस्थाओं को स्वीकृति दी जाये।
10. पंचायत/संस्था का नाम अंकित कर स्वीकृति जारी करते समय स्थल का नाम भी अंकित करावें।

102

11. इस विभाग द्वारा गौशाला अनुदान के सम्बन्ध में जारी परिपत्र क्र. एफ 5(1) आ.प. एवं सहा. /गौ.अनु./14/12521-29 दिनांक 12.12.2014 की पालना सुनिश्चित की जावे।
12. इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. एफ 5(1) आ.प. एवं सहा./गौ.अनु./14/2288-310 दिनांक 11.3.2015 जिसमें यह निर्देशित किया गया है कि गौशाला अनुदान 90 दिवस तक या अभाव अवधि (31 जुलाई, 2015 तक) जो भी पहले हो तक के लिए अनुमति दी जावे, किसी भी गौशाला को अभाव अवधि की अंतिम तिथि तक 90 दिवस से अधिक अवधि का भुगतान देय नहीं होगा।
उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

 26/15

शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव पशुपालन एवं प्रबन्ध निदेशक, आरसीडीएफ, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
7. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर।
8. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
9. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
10. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. गार्ड फाईल।



शासन सयुक्त सचिव